न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 650–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 124/अपील/2005–06.

.....

बृजेशसिंह पुत्र श्री अमरसिंह रघुवंशी
निवासी मूडराखुर्द तहसील आरोन
जिला गुना म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म0प्र0

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक–प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 28/7/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4 कमांक 3 कंडिका 20(1) के अन्तर्गत उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मूडराखुर्द तहसील आरोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 307 रकबा 1.254 हेक्टेयर से शासकीय भूमि सर्वे कमांक 307 रकबा 0.715 हेक्टेयर से विनिमय किये हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 124/अ–19/1996–97 दर्ज कर दिनांक 24–10–2005 आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2005 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि कलेक्टर द्वारा विधिवत् जॉच नहीं कराई जाकर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी की भूमि एवं शासकीय भूमि का बाजार मूल्य समान है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के विनिमय के आदेश दिये जाना चाहिये थे, परन्तु कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है और अपर आयुक्त द्वारा बिना उपरोक्त स्थिति पर विचार किये अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा शासकीय भूमि से विनिमय चाहा गया था, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि जिस भूमि का अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि को विनिमय चाहा है वह भूमि राजस्व अभिलेखों में शाला उद्यान के नाम से दर्ज है और शाला उद्यान की भूमि का निजी भूमि से विनिमय किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा जिन आधारों पर शासकीय भूमि से अपनी भूमि का विनिमय चाहा गया है, उन आधारों के संबंध में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट विवेचना की गई है कि अपीलार्थी की भूमि कम उपजाऊ है, अर्थात् शासकीय भूमि अच्छी किस्म की भूमि है और भूमि को

उपजाऊ बनाने का दायित्व अपीलार्थी का है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और उपरोक्त निष्कर्षो के साथ अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर